



Neutral Citation No. – 2026:AHC-LKO:19978-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ**  
**सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन संख्या - 32 वर्ष 2026**

साबिर अली

.....आवेदक

बनाम

प्रशासक के माध्यम से नगर निगम लखनऊ, एवं 4 अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता :- अनु प्रताप सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता :

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनु प्रताप सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय V, नियम 12 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2026 के उस निर्णय एवं आदेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 41, वर्ष 2026, जो परिसीमा द्वारा वर्जित थी, खारिज की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनु प्रताप सिंह ने निवेदन किया है कि रिट याचिका संख्या 1282 (एम.एस.) 2010 (आगा अली हसन खान उर्फ डैनिस खान बनाम उत्तर प्रदेश राजस्व मण्डल, लखनऊ एवं अन्य), जो दिनांक 19.03.2010 को निर्णीत हुई, में रिट न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थीं। यह भी निवेदन किया गया कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता उक्त रिट याचिका में पक्षकार नहीं था और रिट न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई अवसर ही नहीं था।

4. यह भी तर्क दिया गया कि उपर्युक्त परिस्थितियों में, जहाँ पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गईं और जो पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा लड़े जा रहे अन्य अनेक विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं – ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेष अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

5. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि विशेष अपील विलम्ब के आधार पर खारिज की गई और यह विलम्ब रिट न्यायालय के दिनांक 19.03.2010 के निर्णय की तिथि से परिगणित किया गया। यह तर्क दिया गया कि चूँकि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को अधिकार केवल सुश्री फज़ल फातिमा की मृत्यु – जो दिनांक 01.05.2021 को हुई – के पश्चात् दिनांक 18.12.2020 की

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वसीयत के अनुसार प्राप्त हुआ, इसलिए जो 5032 दिन का विलम्ब बताया गया वह त्रुटिपूर्ण था और विशेष अपील को खारिज करने का एकमात्र आधार इसी अत्यधिक विलम्ब का संज्ञान लेना था। ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 19.01.2026 के आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 41, वर्ष 2026 का गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए तथा रिट न्यायालय के दिनांक 19.03.2010 के निर्णय में की गई एकपक्षीय प्रतिकूल टिप्पणियाँ विलोपित की जानी चाहिए।

6. न्यायालय ने पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री – जिसमें विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 41 वर्ष 2026 की पेपर बुक सम्मिलित है – का परिशीलन किया है।

7. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों की यथोचित सराहना करने के लिए विवाद को उसके समुचित परिप्रेक्ष्य में रखना समीचीन होगा।

8. रिट याचिका संख्या 1282 (एम.एस.) 2010, श्री आगा अली हसन खान उर्फ डैनिस खान द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राजस्व मण्डल के दिनांक 22.02.2010 के आदेश को चुनौती दी गई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य यह महत्वपूर्ण बात है कि उक्त रिट याचिका भले ही आगा अली हसन खान उर्फ डैनिस खान द्वारा दायर की गई थी, किन्तु इसे उनके पावर ऑफ अटॉर्नी

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारक – अर्थात् साबिर अली, जो वर्तमान पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता है – द्वारा प्रस्तुत एवं संचालित किया गया था।

9. उक्त रिट याचिका दिनांक 19.03.2010 को खारिज कर दी गई। यह तथ्य स्वयंसिद्ध है कि यद्यपि आगा अली हसन खान द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की गई, किन्तु चूँकि इसे पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा प्रस्तुत एवं संचालित किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता, जो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होकर याचिका का संचालन कर रहा था, रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ था। अतः यह लाभकारी तर्क नहीं दिया जा सकता कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता दिनांक 19.03.2010 के निर्णय एवं आदेश में की गई टिप्पणियों से अनजान था। यदि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में कोई व्यथा थी तो वह उसी समय उक्त आक्षेप उठा सकता था। दिनांक 19.03.2010 से लेकर विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 41, वर्ष 2026 की दाखिलगी – जो दिनांक 12.01.2026 को हुई – अर्थात् लगभग 16 वर्षों तक पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के मौन रहने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निर्बल प्रयास किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था और सुश्री फज़ल फातिमा की मृत्यु के पश्चात् ही दिनांक 18.12.2020 की वसीयत के अनुसार उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। सुश्री फज़ल फातिमा

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की मृत्यु के पश्चात् ही पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को अधिकार प्राप्त हुआ और तभी उसे रिट याचिका संख्या 1282 (एम.एस.) 2010 में दिनांक 19.03.2010 को पारित निर्णय की टिप्पणियों से व्यथा हुई।

11. स्पष्टतः पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का उपर्युक्त निवेदन भी इस कारण भ्रान्तिपूर्ण है कि दिनांक 19.03.2010 के निर्णय में की गई टिप्पणियाँ पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को ज्ञात थीं, क्योंकि वह उस याचिका का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था जिसने उसे संस्थित एवं संचालित किया था।

12. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने वर्ष 2026 में रिट न्यायालय के दिनांक 19.03.2010 के निर्णय को विशेष अपील दाखिल करके चुनौती दी, जिसके साथ विलम्ब क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र भी संलग्न था। विलम्ब क्षमा की प्रार्थना के प्रयोजन से सदैव 'ज्ञान की तिथि' महत्वपूर्ण होती है और पक्षकार को पर्याप्त कारण स्थापित करना होता है। श्री सिंह इस बात का खण्डन नहीं कर सके कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता दिनांक 19.03.2010 के निर्णय में की गई टिप्पणियों से अवगत था। दिनांक 19.03.2010 के निर्णय में की गई टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, उक्त याचिका के याचिकाकर्ता अथवा प्रतिवादियों से सम्बन्धित थीं। यद्यपि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नहीं था, किन्तु यह तथ्य स्वयंसिद्ध है कि वह पुनर्विलोकन

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के नाम से की गई कथित प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत था और यदि वह व्यथित था तो उसे समयानुसार उसे चुनौती देनी चाहिए थी, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

13. इसके अतिरिक्त, उसने सम्पत्ति में अधिकार कथित रूप से सुश्री फज़ल फातिमा की वसीयत के माध्यम से ही प्राप्त किया है; ऐसी स्थिति में भी पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता अपनी हित-पूर्ववर्ती के कार्यों से आबद्ध है, क्योंकि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता उसके स्थान पर आया है। न्यायालय ने विलम्ब क्षमा के प्रार्थना पत्र को खारिज करते समय विशेष अपील में दाखिल विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था और यह पाया था कि पर्याप्त कारण स्थापित नहीं हुआ।

14. उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय यह पाता है कि अपील को काल-बाधित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश न्यायसंगत एवं उचित था, विशेष रूप से तब जबकि विलम्ब क्षमा के आधारों पर विशेष रूप से विचार किया गया था और यह अभिलिखित किया गया था कि 5032 दिनों की विलम्ब क्षमा हेतु कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

15. इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका को ग्रहण करने हेतु अभिलेख के मुख पर कोई स्पष्ट विधि-त्रुटि, और उससे कम कोई अन्य त्रुटि, नहीं है। पुनर्विलोकन का मंच गुणावगुण पर पुनः सुनवाई का प्रच्छन्न माध्यम नहीं है। अतः उपर्युक्त कारणों से, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि पुनर्विलोकन याचिका स्पष्टतः भ्रान्तिपूर्ण है और

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसे रु. 10,000/- (रुपया दस हजार) के व्यय सहित **खारिज** किया जाता है। उक्त व्यय आज की तिथि से दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र में जमा किया जाये।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

18 मार्च, 2026

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।